CANCELLED

272

समक्ष न्यायालय माननीय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर जबलपुर कैम्प

पुनरीक्षण क्र. /2015 निग/2771/I/15

527.

पुनरीक्षणकर्तागण :- 1. शारदा बाई बेवा रघुनाथ सिंह मेहरा [मृत]

2. जयराम पिता स्व. रघुनाथ सिंह मेहरा

3. विनोद पिता स्व. रघुनाथ सिंह मेहरा

4. भगवानदास पिता स्व. रघुनाथ सिंह मेहरा

5. प्रभा बाई पिता स्व. रघुनाथ सिंह मेहरा

6. मोया बाई पिता स्व. रघुनाथ सिंह मेहरा

7. भागवती बाई पिता स्व. रघुनाथ सिंह मेहरा

8. विनीता बाई पिता स्व. रघुनाथ सिंह मेहरा

9. भूरे लाल पिता स्व. मानसिंह मेहरा

10. यशोदा बाई बेवा स्व. मानसिंह मेहरा [मृत]

11. सुनीता बाई पुत्री स्व. मानसिंह मेहरा

क्र. 2 से 9 एवं 11 सभी निवासी- ग्राम रजोला तहसील शहपुरा, जिला जबलपुर

12. रामकली बाई पिता स्व. रघुनाथ सिंह [मृत] मार्फत वारसान

[ए] कु. रूपा बाई उम्र लगभग 12 वर्ष, पिता रामकुमार

[बी] कु. कविता बाई उम्र लगभग 8 वर्ष, पिता रामकुमार

[सी] मोहित उम्र लगभग 6 वर्ष, पिता रामकुमार

क्र. [ए] से [सी] तीनों नाबालिक बली पिता रामकुमार निवासी- कटंगी तहसील पाटन, जिला- जबलपुर

// विरुद्ध //

अनावेदक :- भारती बाई पति सीताराम मेहरा, निवासी- ग्राम भमकी तहसील शहपुरा, जिला जबलपुर

..2..

श्री पी. के. ... अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार ...
24 JUL 2015
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

CANCELLED

CANCELLED

Office 28.7.15

R, 2771-I/15

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्तागण विद्वान अपीलीय न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा अपील प्रकरण क्र. 457/अ-6/2012-13 पक्षकार शारदा बाई एवं अन्य विरुद्ध भारती बाई में पारित आदेश दिनांक 3.7.2015 से दुखित होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर यह पुनरीक्षण प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं :-

// पुनरीक्षण के तथ्य //

1. यह कि पुनरीक्षणकर्ता क्र. 10स्व. यशोदा बाई के पति श्री मान सिंह मेहरा मौजा रजोला, प.ह.नं. 13/40, रा.नि.मं. पिपरिया कला, तहसील शाहपुरा जिला जबलपुर स्थित ख.नं. 59/2, 76/2, 83, 132/1, 135, 59/1, 63 व 134 रकबा क्रमशः 0.37, 0.07, 0.08, 3.14, 0.83, 1.00, 2.80, व 0.82 कुल रकबा 9.11 हेक्टेयर भूमि के भूमि स्वामी एवं मालिक काबिज रहे हैं। श्री मानसिंह की काफी अरसा पहले मृत्यु हो गई उनके निम्न वारसान हैं :-

मानसिंह (मृत) - यशोदा बाई (पत्नी)(मृत) पुन.क्र. 10)

- रघुनाथ (मृत) — शारदा बाई (पत्नी) (मृत) (पु.क्र. 1)
  - पुत्रगण
    - 1. जयराम (पुन.क्र. 2)
    - 2. विनोद (पुन.क्र. 3)
    - 3. भगवानदास (पुन.क्र. 4)
  - पुत्रीगण
    - 1. प्रभा बाई (पुन.क्र. 5)
    - 2. माया बाई (पुन.क्र. 6)
    - 3. भागवती बाई (पुन.क. 7)
    - 4. विनीता बाई (पुन.क्र. 8)
    - 5. रामकली बाई (मृत)
      - कु. रूपा (पुन.क्र. 12-ए)
      - कु. कविता (पुन.क्र. 12-बी)
      - मोहित (पुन.क्र. 12-सी)
- भूरेलाल (पु.क्र. 9)
- होरीलाल (मृत)
- सरस्वती बाई (मृत)
- मुन्नी बाई
  - सुनीताबाई (पुन.क्र. 11)
- प्रेमबाई
  - भारती बाई (अनावेदक)

INDIA

OFFICE OF THE

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2771–एक/15 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.1.17	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक अपील 457/अ–6/12–13 में पारित आदेश दिनांक 3–7–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रश्नाधीन भूमि उभयपक्षों के नाम वर्ष 2008–09 तक संयुक्त खाते में दर्ज थी । इन भूमियों में से आवेदकों द्वारा अनावेदक की सहमति के बिना ग्राम पंचायत बसेड़ी से अनावेदक का हिस्सा समाप्त करा दिया गया । इससे व्यथित होकर अनावेदिका ने विचारण न्यायालय में प्रकरण कमांक 19/अ–6/11–12 पेश किया गया उक्त प्रकरण को नायब तहसीलदार ने अपीलीय होने के आधार पर निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदिका ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दी । अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिकनांक 17–1–13 द्वारा अनावेदिका की अपील स्वीकार की । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अधीनस्थ न्यायालयक में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ प्रकरण में आवेदक की ओर से लिखित बहस पेश की गई है ।	

R 2771-I/15 (उज्जैन)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	4/ अनावेदक की ओर से आज दिनांक तक समय दिए जाने के उपरांत भी लिखित तर्क पेश नहीं किये गये हैं । 5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । इस प्रकरण में आलोच्य भूमि उभयपक्ष के नाम पर होकर ग्राम पंचायत ने प्रकिया के विरूद्ध खातेदार का नाम काट दिया और न उसे सुनवाई का अवसर दिया और कोई सूचनापत्र दिया । ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत का आदेश पूर्णतया अवैधानिक होकर शून्यवत है जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी ने कोई त्रुटि नहीं है । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, अपर आयुक्त ने प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त ने अनुविभागीरय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने तथा संबंधित पटवारी के विरूद्ध कार्यवाही के जो निर्देश दिए हैं वे उचित और न्यायिक हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हो । सदस्य	